न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच, जनपद जालौन।

परिवाद सं0–278/2017

प्रीति प्रति ज्ञानवती आदि।

17.09.2021

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि पर प्रार्थनापत्र 18क पर सुना जा चुका है। पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थनापत्र 18क अंतर्गत धारा 245 (2) द0प्र0सं0 प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया गया है कि परिवादिनी ने यह मुकदमा मूलवाद सं0 92/2015 प्रियंका आदि बनाम ज्ञानवती आदि जो न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) कोंच में विचाराधीन है, के रंजिश में दायर किया है, जो झूंठे साक्ष्य पर आधारित है। परिवादिनी द्वारा दिये गये साक्ष्य में घोर विरोधाभाष व संदेह उत्पन्न होता है, जिनके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आरोप नहीं बनता है। प्रार्थना की है कि उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाये।

परिवादिनी द्वारा आपत्ति 20ख प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि परिवादिनी एवं उसके द्वारा प्रस्तुत गवाहों ने अपने बयान अंतर्गत धारा 244 द0प्र0सं0 में घटना के समर्थन में बयान दिया है। अभियुक्तगण ने परिवाद के निस्तारण में विलम्ब करने की मंशा से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना की है कि उपरोक्त आधार पर खारिज किया जाये।

परिवादिनी ने सर्व प्रथम बतौर पी0डब्लू0–1 स्वयं को परीक्षित कराया गया है। जिसमें उसके द्वारा शपथपूर्वक बयान दिया गया है कि दिनांक 18.05.2017 को अभियुक्तगण सुबह 8 बजे उसके घर के अंदर घुस आये और उसका हाथ पकड़ कर बुरी नियत से अभद्रता करने लगे और गालियां देने लगे, अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी। चिल्लाने पर मुहल्ले के लोगों ने आकर बीच बचाव कराया।

पी0डब्लू0–2 हारून पुत्र बन्ने द्वारा भी अपने बयान अंतर्गत धारा 244 द0प्र0सं0 में दिनांक 18.05.2017 की घटना के सम्बन्ध में बयान दिया गया है कि जब वह बजरिया से लौट रहा था, तब उसे प्रीति के घर के अंदर से लड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। यह आवाज सुनकर वह घर के अंदर चला गया, तो उसने देखा कि ओम प्रकाश प्रीति का हाथ पकड़ा हुआ था और ज्ञानवती प्रीति को मार रही थी। ओमप्रकाश प्रीति को जान से मारने की धमकी दे रहा था और गाली गलौज कर रहा था।

पी0डब्लू0–3 प्रियंका द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 244 द0प्र0सं0 में कथन किया गया है कि दिनांक 18.05.2017 को समय सुबह 8 बजे उसने देखा कि ओमप्रकाश और ज्ञानवती प्रीति के साथ मारपीट कर रहे थे। ओमप्रकाश ने प्रीति का एक हाथ पकड़ा था और ज्ञानवती ने दूसरा। वे लोग गालियां दे रहे थे। सिविल का एक मुकदमा चल रहा है, उसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण मारपीट कर रहे थे।

धारा 245 (2)द0प्र0सं0 के अनुसार मजिस्ट्रेट मामलें के किसी पूर्ववत प्रक्रम में अभियुक्त को उस दशा में उन्मोचित करने से निवारित करने वाली न समझी जायेगी, जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे कारणो से, जो लेखबद्ध किये जायेगें, यह विचार करता है कि आरोप निराधार है।

अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थनापत्र 18क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि चूंकि उभयपक्ष के मध्य सिविल वाद विचाराधीन है, उसकी रंजिश में ही वर्तमान परिवाद संस्थित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त आधार मात्र पर उन्मोचन किये जाने की प्रार्थना की गई है।

विधि में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी सिविल प्रकरण के

विचाराधीन रहने मात्र से ही आपराधिक कृत्यों के सम्बन्ध में फौजदारी वाद संस्थित करने से रोका नहीं जा सकता है। इस सम्बन्ध में परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था तापस अधिकारी व अन्य बनाम राज्य उ0प्र0 व अन्य (2009(2)डी.एन.आर. 407) उपरोक्त सिद्धान्त के समर्थन में प्रस्तुत किया है।

परिवादिनी द्वारा न्यायालय में परीक्षित कराये गये तीनो गवाहों ने अपने बयान अंतर्गत धारा 244 द0प्र0सं0 में घटना दिनांकित 18.05.2017 के समर्थन में बयान दिया है। उपरोक्त बयानो के अवलोकन से अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 18.05.2017 को परिवादपत्र में वर्णित घटना प्रथम दृष्टया कारित किया जाना सिद्ध है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था को दृष्टिग्त रखते हुये प्रार्थनापत्र 18क निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 18क निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस आरोप दिनांक 19.10.2021 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच
जनपद जालौन।